

## वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

वनसे संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए वन विभाग, गुना से संपर्क करें।

वन संरक्षक, सामान्य; वन विभाग,

जिला- गुना, दूरभाष- (07542)259650

### वन विभाग, जिला- गुना

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाला लाभ	किससे संपर्क करें
1	वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रमाणित वन्य प्राणियों द्वारा घायल/मृत व्यक्ति	मृत्यु हो जाने पर रु 1.50 लाख तथा इलाज पर हुआ व्यय, घायल होने पर अधिकतम रु 30000/,स्थायी रूप से अपंग होने पर रु 100,000/ व.इलाज पर हुआ व्यय, घायल होने पर तत्काल मदद रु 500/ एवं मृत्यु उपरांत तत्काल रु1000/ परिजनों को दिया जाना है	समीपस्थ वन अधिकारी
2	वन्य प्राणियों द्वारा निजी मवेशी को मारे जाने पर सहायता	हानि की सूचना 48घंटे के अंदर वन अधिकारी को दी गयी हो, मृत मवेशी/पशु को यथास्थान व यथावत् रखा गया हो, मवेशी/पशु के मृत होने व जंगली जानवरों द्वारा मारे जाने का सत्यापन वन अधिकारी द्वारा किया गया हो।	पशु मालिकों को अधिकतम प्रति मवेशी की मदद दी जाती है:- 1) गाय/भैंस/बैल/घोडा/ऊँट के लिए- रु 10,000/ तथा इनके बच्चे की हानि पर रु 5000/ 2) गधे के लिए रु 5000/, 3) भेड़/बकरी के लिएरु 1000/ 4) सूअर के लिए रु 1500/ तथा गधे/भेड़/बकरी/सूअर के बच्चे की हानि के लिए रु 250/	समीपस्थ वन अधिकारी
3	तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजना	18-60 वर्ष के सभी तेंदूपत्ता संग्राहक	नमांकित व्यक्ति को रु3500/ दिये जाते हैं। किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रु 25000/- जबकि पूर्ण विकलांग होने पर रु25000/- तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर रु12500/- की राशि प्रदान की जाती है।	वनमंडलाधिकारी